

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 3750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 37,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति पी.एम.टी./पी.ई.टी. के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 69.95 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 69,95,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 5

राज्य के 1000 स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 600.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 252.75 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,52,75,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7 से 12

जैजपुर जिला-जांजगीर- चांपा में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु राशि रू 35.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्राचार्य	12000-18300	1
2.	सहायक प्राध्यापक	8000-13500	10
3.	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	1
4.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	1
5.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	1
6.	प्रयोगशाला तकनीशियन	4000-6000	3
7.	भृत्य	2550-3200	2

योग- 19

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रू. 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 13 से 15

अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के अंतर्गत गतिवर्धित जल प्रदाय योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन एवं पाईप द्वारा जल प्रदाय हेतु रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है । यह शतप्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा सहायित योजना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 16

अनुसूचित जाति अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को स्थापना अनुदान हेतु राशि रूपये 113.22 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,13,22,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 17

प्रदेश के दलहन एवं तिलहन बीज उत्पादक कृषकों को उत्पादन अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 15.00 लाख व्यय संभावित है। यह विभागीय बचत से किया जायेगा। यह नवीन मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

कृषि यंत्र हस्त चलित एवं बैल चलित यंत्रों पर अनुदान की 25 प्रतिशत प्रदाय हेतु राशि रूपये 24.00 लाख का व्यय संभावित है। यह विभागीय बचत से किया जायेगा। यह नवीन मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 19

हस्तशिल्प विकास केन्द्रों के कार्यरत अमलों के स्थापना अनुदान हेतु रूपये 13.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 20

राज्य शासन द्वारा तुमड़ीबोड़ में अधीक्षक, आवास गृह, चौकीदार आवास गृह एवं अहाता निर्माण, कुरूद जिला धमतरी में 3 अनुसूचित जाति छात्रावास भवन एवं सिंगपुर कुरूद में अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। अतः इस हेतु राशि क्रमशः रूपये 8.94 लाख, रूपये 90.87 लाख एवं रूपये 30.29 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 से 22

राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत निम्नांकित अनुसूचित जाति छात्रावास एवं आश्रम भवनों के निर्माण (36 कार्य) का निर्णय लिया गया है। अतः इस हेतु राशि रूपये 1190.58 लाख का व्यय संभावित है :-

(राशि लाखों रूपये में)

क्र.	जिला	संस्था का नाम	सीट	भवन की लागत
1	2	3	4	5
1	जांजगीर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. सक्ति	20	24.12
2	रायपुर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. घाराशिव	50	29.24
3	रायपुर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. दामाखड़ा	50	29.24
4	कवर्धा	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. दामापुर	50	29.24
5	जांजगीर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. पन्डी	50	29.24
6	जांजगीर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. बिरा	50	29.24
7	धमतरी	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. सिंगपुर	50	29.24
8	जांजगीर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. छपारा	50	29.24
9	कवर्धा	पो.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. कवर्धा	100	84.22
10	बिलासपुर	पो.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. तखतपुर	50	48.45
11	धमतरी	पो.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. कुरूद	50	48.45
12	बिलासपुर	प्री.मै.अनु.जा. बालक छात्रा. भटचौरा	50	29.24
13	जांजगीर	आश्रम भवन धौराभाटा	50	35.86
14	जांजगीर	आश्रम भवन कुट्टाबाड	50	35.86
15	राजनांदगांव	आश्रम भवन पनेका	50	35.86

16	राजनांदगांव	आश्रम भवन हज्जटोला	50	35.86
17	रायगढ़	आश्रम भवन सुदराभाटा	50	35.86
18	रायगढ़	आश्रम भवन कटकोनी	50	35.86
19	रायगढ़	आश्रम भवन कोसीर	50	35.86
20	कोरिया	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. कोरिया	50	29.24
21	जांजगीर	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. बलोदा	50	29.24
22	सरगुजा	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. अंबिकापुर	50	29.24
23	दत्तेवाड़ा	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. दत्तेवाड़ा	50	29.24
24	महासमुन्द	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. बसना	50	29.24
25	जांजगीर	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. नरीयरा	50	29.24
26	बिलासपुर	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. लालपुर	50	29.24
27	रायगढ़	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. खरसिया	50	29.24
28	धमतरी	प्री.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. सिंगपुर	50	29.24
29	बिलासपुर	पो.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. तखतपुर	50	48.45
30	धमतरी	पो.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. कुरूद	50	48.45
31	जशपुर	पो.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. जशपुर	50	48.45
32	राजनांदगांव	पो.मै.अनु.जा. कन्या छात्रा. खैरागढ़	50	48.45
33	जांजगीर	आश्रम भवन चिस्दा	50	35.86
34	जशपुर	आश्रम भवन बुलडोला	50	35.86
35	रायगढ़	आश्रम भवन परसकोल	50	35.86
36	राजनांदगांव	आश्रम भवन चिल्हाटी	50	35.86
	योग		1820	1290.58

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,90,58,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 23

जैजपुर जिला-जांजगीर- चांपा में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए राशि रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 24

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत निम्नलिखित सड़कों कार्यों को अपरीक्षित मद के रूप में शामिल करते हुए निर्माण करने का निर्णय लिया गया है-

1. जिला कवर्धा पटुआ कठौरिया सरहद सड़क निर्माण लम्बाई 5 किमी पुल पुलियों सहित अनुमानित लागत रूपये 140.00 लाख इस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
2. जिला कवर्धा दामापुर सेमरकोना सड़क निर्माण लम्बाई 6 किमी पुल पुलियों सहित अनुमानित लागत रूपये 160.00 लाख इस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।
3. जिला जांजगीर भोथिया से भोथियाडीहा मार्ग सड़क निर्माण लम्बाई 6 किमी पुल पुलियों सहित अनुमानित लागत रूपये 150.00 लाख इस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।